

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9013/ 2643

दिनांक: 1-10-19

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.124 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. from Village Naloi to Rajasthan border, under forest division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/OFC/39760/2019

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1314 दिनांक 19-9-2019 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

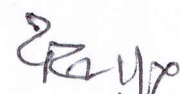
2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.124 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29-1-2018 के प्रावधान संख्या B(i) के तहत प्रयोक्ता एजेंसी से penalty for violation की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) प्रयोक्ता एजेंसी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
- (ii) इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
- (iv) यह ओ0एफ0सी0 वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
- (v) प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (vii) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (viii) यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा ।
- (ix) यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
- (x) खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (xi) यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
- (xii) इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।


मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ।
3. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali.